

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 10-04-2026

विषय सूची

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रेपो दर 5.25 प्रतिशत पर स्थिर
भारत में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) का चरणबद्ध रूप से कमी करना
समर्पित माल-ढुलाई गलियारा (DFC)

संक्षिप्त समाचार

विनायक दामोदर सावरकर
सिजिमाली बॉक्साइट खदान
मैडमैन थ्योरी
भारत-डेनमार्क आर्थिक संबंधों का सुदृढीकरण
विश्व होम्योपैथी दिवस 2026
मोरचेला मशरूम
नेफ्थलीन डाईइमाइड (NDI)
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल
पुनात्सांगचू-II जलविद्युत परियोजना (PHEP-II)

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रेपो दर 5.25 प्रतिशत पर स्थिर

संदर्भ

- भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने रेपो दर को 5.25% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया।

परिचय


- स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर 5 प्रतिशत पर यथावत है।
- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर और बैंक दर 5.5 प्रतिशत पर बनी हुई है।
- वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर 6.9% अनुमानित है, जिसमें प्रथम तिमाही 6.8%, द्वितीय तिमाही 6.7%, तृतीय तिमाही 7.0% और चतुर्थ तिमाही 7.2% रहने का अनुमान है।
- वित्त वर्ष 2026-27 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान 4.6% है, जिसमें प्रथम तिमाही 4.0%, द्वितीय तिमाही 4.4%, तृतीय तिमाही 5.2% और चतुर्थ तिमाही 4.7% रहने का अनुमान है।

रेपो दर क्या है?

- रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। यह RBI का प्रमुख नीतिगत उपकरण है, जिसका उपयोग तरलता, मुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु किया जाता है।
- कम रेपो दर का अर्थ है कि बैंक RBI से सस्ते दर पर ऋण ले सकते हैं।
- इससे बैंकों को ऋण दरें घटाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।
- उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए ऋण तक आसान पहुँच होती है।
- निवेश, उपभोग और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।
- तरलता और मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है।
- यह विशेषकर आर्थिक मंदी के समय वृद्धि को प्रोत्साहित कर सकता है।

RBI repo rate

The repo rate is the interest rate at which the RBI lends to commercial banks.



मौद्रिक नीति समिति (MPC) क्या है?

- MPC एक वैधानिक निकाय है, जिसे RBI अधिनियम, 1934 (2016 में संशोधित) के अंतर्गत स्थापित किया गया है।
- इसका कार्य मूल्य स्थिरता बनाए रखते हुए वृद्धि को ध्यान में रखते हुए बेंचमार्क ब्याज दर (रेपो दर) तय करना है।
- इसमें 6 सदस्य होते हैं:

- 3 RBI से (जिसमें गवर्नर अध्यक्ष होते हैं),
- 3 बाहरी सदस्य जिन्हें सरकार नियुक्त करती है।
- **कार्यप्रणाली:** यह समिति कम से कम वर्ष में चार बार (सामान्यतः द्विमासिक) बैठक करती है। निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं और प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है। बराबरी की स्थिति में RBI गवर्नर का निर्णायक मत होता है।


लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण ढाँचा (FITF)

- भारत ने 2016 में लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण ढाँचा अपनाया। इसके अंतर्गत सरकार, RBI से परामर्श कर प्रत्येक पाँच वर्ष में मुद्रास्फीति लक्ष्य तय करती है।
 - वर्तमान अधिदेश, जो 31 मार्च 2026 तक प्रभावी है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4% निर्धारित करता है, जिसमें $\pm 2\%$ की सहनशीलता सीमा है, अर्थात् 2% से 6% के बीच।

भारत में मौद्रिक नीति उपकरण

RBI द्वारा मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने हेतु प्रयुक्त उपकरण दो श्रेणियों में बाँटे जाते हैं:

- **मात्रात्मक उपकरण** – ऋण की लागत और मात्रा को नियंत्रित करने हेतु।
- **गुणात्मक उपकरण** – ऋण के उपयोग और दिशा को नियंत्रित करने हेतु।



- **मात्रात्मक उपकरण**
 - रेपो दर
 - रिवर्स रेपो दर
 - नकद आरक्षित अनुपात (CRR)
 - वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)
 - खुला बाजार परिचालन (OMO)
 - सीमांत स्थायी सुविधा (MSF)
 - तरलता समायोजन सुविधा (LAF)
 - बाजार स्थिरीकरण योजना (MSS)
- **गुणात्मक उपकरण**
 - मार्जिन आवश्यकता
 - उपभोक्ता ऋण विनियमन
 - ऋण का राशनिंग
 - नैतिक आग्रह
 - प्रत्यक्ष कार्रवाई

हालिया नीति निर्णय के पीछे कारण

- भूराजनीतिक अनिश्चितता: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता को बढ़ाया है।
- आपूर्ति-पक्षीय आघात: ऊर्जा और वस्तु बाजारों में व्यवधान से भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है।
- लक्ष्य सीमा में मुद्रास्फीति: खुदरा मुद्रास्फीति 2-6% लक्ष्य सीमा में है और कोर मुद्रास्फीति नियंत्रित है।
- व्यापार समझौतों का प्रभाव: भारत ने हाल ही में अमेरिका, यूरोपीय संघ, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार समझौते किए हैं, जिनसे निर्यात एवं निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

- उधारकर्ताओं और परिवारों पर प्रभाव: स्थिर ब्याज दरें मध्यमवर्गीय परिवारों और गृह ऋण लेने वालों के लिए वित्तीय अनिश्चितता कम करती हैं।
- निवेश और ऋण वृद्धि पर प्रभाव: स्थिर दरें, सुदृढ़ मांग और व्यापार समझौते निजी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं।
- सामान्य आर्थिक स्थिरता: यह निर्णय भारत के लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण ढाँचे की विश्वसनीयता को सुदृढ़ करता है।

आगे की राह

- बाह्य क्षेत्रीय स्थिरता की रक्षा: सक्रिय तरलता प्रबंधन, विवेकपूर्ण विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग और वैश्विक वित्तीय परिस्थितियों की निगरानी आवश्यक है।
- राजकोषीय-मौद्रिक समन्वय को सुदृढ़ करना: सतत राजकोषीय समेकन और लक्षित सार्वजनिक व्यय मौद्रिक नीति को पूरक करेंगे तथा दीर्घकालिक वृद्धि को बनाए रखेंगे, बिना मुद्रास्फीति दबाव उत्पन्न किए।

Source: TH

भारत में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) का चरणबद्ध रूप से कमी करना

संदर्भ

- भारत सरकार ने निर्देश दिया है कि 31 दिसंबर 2027 के बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFC) उत्पादन परियोजनाओं

के लिए कोई नई पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी।

- यह निर्णय भारत की मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली संशोधन के अंतर्गत प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है।


पृष्ठभूमि

- किगाली संशोधन के अंतर्गत, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकार देशों ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) के उत्पादन और उपभोग को चरणबद्ध रूप से कम करने का संकल्प लिया है।
- HFCs को क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs) के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया था क्योंकि ये ओजोन परत को क्षति नहीं पहुँचाते।
 - यद्यपि HFCs ओजोन परत को नहीं घटाते, इनका वैश्विक ऊष्मीकरण क्षमता 12 से 14,000 तक होती है, जो जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।
- इसी कारण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों ने 28वीं बैठक (MOP) में, जो किगाली, रवांडा में आयोजित हुई थी, HFCs को नियंत्रित पदार्थों की सूची में शामिल करने और इनके उत्पादन व उपभोग को 2040 के दशक के अंत तक 80-85% तक घटाने की समयरेखा को अनुमोदित किया।
- भारत 2032 से HFCs का चरणबद्ध कमीकरण चार चरणों में पूरा करेगा:
 - 2032 में 10%
 - 2037 में 20%
 - 2042 में 30%
 - 2047 में 85%

ओजोन परत क्या है?

- ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की चार परतों में से एक, समताप मंडल (Stratosphere) में स्थित एक सूक्ष्म गैस परत है।
- यह पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है।

- **ओज़ोन का निर्माण:** ऑक्सीजन अणु (O₂) के रासायनिक बंधनों को उच्च-ऊर्जा सौर फोटॉनों द्वारा तोड़े जाने से मुक्त ऑक्सीजन परमाणु उत्पन्न होते हैं, जो अन्य ऑक्सीजन अणुओं से जुड़कर ओज़ोन (O₃) बनाते हैं।
- **अच्छा और बुरा ओज़ोन:**
 - समताप मंडलीय ओज़ोन (अच्छा ओज़ोन) प्राकृतिक रूप से सौर पराबैंगनी (UV) विकिरण और ऑक्सीजन अणुओं की परस्पर क्रिया से बनता है।
 - क्षोभमंडलीय या सतही ओज़ोन (बुरा ओज़ोन), जिसे मनुष्य श्वास के माध्यम से ग्रहण करते हैं, मुख्यतः वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOC) और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOX) की प्रकाश-रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बनता है।
- **महत्त्व:** ओज़ोन परत एक सुरक्षात्मक ढाल की तरह कार्य करती है, जो पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर मनुष्यों और पारिस्थितिक तंत्रों को त्वचा कैंसर जैसी हानिकारक प्रभावों से बचाती है।



ओज़ोन परत की सुरक्षा हेतु संधियाँ

- **वियना संधि:** ओज़ोन परत की सुरक्षा हेतु प्रथम संधि, जिसका उद्देश्य राष्ट्रों के बीच सहयोग और जानकारी का आदान-प्रदान बढ़ाना था।
- **मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987):** ओज़ोन परत को क्षति पहुँचाने वाले पदार्थों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि। यह प्रथम संयुक्त राष्ट्र संधि है जिसे सभी 198 सदस्य देशों ने अनुमोदित किया। भारत 1992 में इसका पक्षकार बना और सफलतापूर्वक CFCs जैसे ओज़ोन-क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया।

- **किगाली समझौता (2016):** लगभग 197 देशों ने HFCs के उपयोग को 2040 के दशक के अंत तक 85% तक घटाने पर सहमति व्यक्त की। भारत ने 2021 में किगाली संशोधन का अनुमोदन किया।

आगे की राह

- सरकार को कम वैश्विक ऊष्मीकरण क्षमता वाले वैकल्पिक रेफ्रिजरेंट्स पर अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- उद्योगों को सुगम संक्रमण हेतु वित्तीय प्रोत्साहन और नीतिगत सहयोग की व्यवस्था करनी चाहिए।
- भारत को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और जलवायु वित्त के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना चाहिए।

Source: IE

समर्पित माल-दुलाई गलियारा (DFC)

संदर्भ

- रेल मंत्रालय ने पश्चिमी समर्पित माल-दुलाई गलियारे (WDFC) को पूरा कर लिया है, जो भारत की माल-दुलाई लॉजिस्टिक्स आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

समर्पित माल-दुलाई गलियारा (DFC) के बारे में

- समर्पित मालवाहक गलियारा (DFC) एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य माल-दुलाई यातायात को यात्री लाइनों से अलग करना है ताकि दक्षता और क्षमता में सुधार हो सके।
- इस परियोजना की परिकल्पना 2005 में की गई थी और 2008 में मंत्रिमंडल ने दो DFC—पूर्वी DFC (EDFC) और पश्चिमी DFC (WDFC)—को स्वीकृति दी।
- **पूर्वी DFC (EDFC):** 1,337 किलोमीटर, लुधियाना (पंजाब) से सोननगर (बिहार) तक; पूर्ण और परिचालन में।
- **पश्चिमी DFC (WDFC):** 1,506 किलोमीटर, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल (महाराष्ट्र) से दादरी (उत्तर प्रदेश) तक; हाल ही में पूर्ण।
- इसका क्रियान्वयन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL) द्वारा किया जाता है।

महत्व

- **तीव्र माल-दुलाई परिवहन:** मालगाड़ियाँ 100 किमी/घंटा की गति से चल सकती हैं, जबकि पारंपरिक पटरियों पर यह 50–60 किमी/घंटा होती है।
- **रेल नेटवर्क का भीड़-निवारण:** वर्तमान यात्री लाइनों को मुक्त कर समयबद्धता और दक्षता में सुधार।
- **आर्थिक प्रभाव:** WDFC पर प्रतिदिन 100+ मालगाड़ियों के संचालन की संभावना, जिससे औद्योगिक गलियारों और बंदरगाह संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
- **लागत एवं ऊर्जा दक्षता:** लॉजिस्टिक्स लागत में लगभग 20–25% की कमी और कार्बन उत्सर्जन में कमी, जिससे भारत के नेट-जीरो लक्ष्यों को समर्थन।
- **निर्यात एवं आयात को समर्थन:** JNPT और मुंद्रा जैसे प्रमुख बंदरगाहों से संपर्क, जिससे कार्गो परिवहन दक्षता में सुधार।

चुनौतियाँ

- **उच्च पूंजी लागत:** दोनों DFCs की कुल परियोजना लागत ₹80,000–₹90,000 करोड़ अनुमानित।
- **भूमि अधिग्रहण:** विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब में चुनौतीपूर्ण।
- **एकीकरण संबंधी मुद्दे:** वर्तमान रेलवे नेटवर्क और निजी लॉजिस्टिक्स के साथ सहज इंटरफ़ेस की आवश्यकता।
- **रखरखाव एवं प्रौद्योगिकी:** विद्युतीकृत डबल-स्टैक कंटेनर गलियारों के लिए आधुनिक सिग्नलिंग, निगरानी और कुशल कार्यबल आवश्यक।
- **संचालन संबंधी जोखिम:** उच्च गति मालगाड़ियों को मौजूदा यात्री सेवाओं के साथ सुरक्षित रूप से एकीकृत करना।

सरकारी पहल / समर्थन

- **DFCCIL क्रियान्वयन:** योजना, निर्माण और संचालन हेतु केंद्रीय सरकारी इकाई।
- **आधुनिक प्रौद्योगिकी:** भारतीय रेल ने अपने ब्रॉड-गेज नेटवर्क का 90% से अधिक विद्युतीकरण कर लिया है और 100% विद्युतीकरण की ओर अग्रसर है।

- **कवच का क्रियान्वयन:** स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली, जो टक्करों को रोकती है और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करती है।
- **औद्योगिक गलियारों से एकीकरण:** दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (DMIC), पूर्वी एवं पश्चिमी बंदरगाहों से जुड़ा हुआ।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP):** मालवाहक टर्मिनलों, लॉजिस्टिक्स पार्कों, वैगन निवेश योजनाओं और स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाओं में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया।
- **पीएम गति शक्ति एकीकरण:** पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक GIS-आधारित एकीकृत मंच प्रदान करता है, जिससे समन्वित अवसंरचना योजना संभव होती है।
 - यह रेल, सड़क, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स के बीच बहु-मोडल संपर्क सुनिश्चित करता है।

निष्कर्ष

- DFC परियोजना भारत के परिवहन अवसंरचना में एक परिवर्तनकारी पहल है, जो मालवाहक दक्षता बढ़ाती है, लॉजिस्टिक्स लागत घटाती है, स्थिरता को प्रोत्साहित करती है और औद्योगिक विकास को समर्थन देती है।
- EDFC पहले से परिचालन में है और WDFC पूर्ण हो चुका है, जिससे भारत अपनी लॉजिस्टिक्स प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करने, बंदरगाह संपर्क सुधारने और तेज, स्वच्छ एवं किफायती मालवाहक परिवहन सुनिश्चित करने की दिशा में अग्रसर है।

Source: IE**संक्षिप्त समाचार****विनायक दामोदर सावरकर****संदर्भ**

- विनायक दामोदर सावरकर पर की गई टिप्पणियों से संबंधित एक आपराधिक मानहानि मामले ने पुणे की अदालत में स्वातंत्र्यवीर उपाधि की उत्पत्ति पर ध्यान आकर्षित किया है।

विनायक दामोदर सावरकर

- विनायक दामोदर सावरकर (1883–1966), जिन्हें लोकप्रिय रूप से *वीर सावरकर* कहा जाता है, एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक चिंतक और लेखक थे।
- वे हिंदुत्व विचारधारा के विकास से जुड़े रहे और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- शिक्षा:** सावरकर ने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में अध्ययन किया और बाद में कानून की पढ़ाई हेतु लंदन गए।
- स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका:** उन्होंने 1904 में *अभिनव भारत सोसाइटी* की स्थापना की, जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति हेतु समर्पित एक गुप्त संगठन था।
 - लंदन में रहते हुए उन्होंने *इंडिया हाउस* और *फ्री इंडिया सोसाइटी* का नेतृत्व किया, जहाँ भारतीय छात्रों को विध्वंस और हत्या की तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाता था।
- हिंदू महासभा:** वे 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे और “हिंदू राष्ट्र” का समर्थन किया।
- सामाजिक सुधार:** सावरकर जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता के कट्टर विरोधी थे।
- साहित्यिक योगदान:** उन्होंने *भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, 1857* की रचना की, जिसमें 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया गया।

स्रोत: TH

सिजिमाली बॉक्साइट खदान

संदर्भ

- ओडिशा के रायगढ़ा जिले में आदिवासी ग्रामीणों और पुलिस के बीच हालिया हिंसक झड़पों ने *सिजिमाली बॉक्साइट खदान परियोजना* पर राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है।

परिचय

- सिजिमाली, ओडिशा के रायगढ़ा और कालाहांडी जिलों में फैले 1,500 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थित उच्च-गुणवत्ता वाला बॉक्साइट भंडार है, जो पूर्वी घाट पर्वतमालाओं में आता है।

- इसमें अनुमानित 311 मिलियन टन बॉक्साइट अयस्क है और इसे 2023 में सरकारी नीलामी के माध्यम से वेदांता लिमिटेड को सौंपा गया।
- परियोजना को हाल ही में केंद्र सरकार से सशर्त स्टेज-1 वन स्वीकृति प्राप्त हुई है।

प्रमुख तथ्य

- सिजिमाली से निकाले गए बॉक्साइट को एल्यूमिना में परिष्कृत किया जाएगा, जो एल्यूमिनियम उत्पादन का प्राथमिक कच्चा माल है।
- ओडिशा भारत के बॉक्साइट क्षेत्र में प्रमुख है, जो राष्ट्रीय बॉक्साइट संसाधनों का 41% और 2021-22 में कुल उत्पादन का लगभग 73% प्रदान करता है।
- प्रमुख बॉक्साइट स्थलों में शामिल हैं:
 - पंचपटमाली (NALCO द्वारा संचालित, विश्व की सबसे बड़ी बॉक्साइट खदानों में से एक)
 - गंधमर्दन (बरगढ़-बलांगीर, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील)
 - नियामगिरी (जहाँ 2013 में 12 ग्राम सभाओं ने वेदांता की खनन बोली को अस्वीकार किया)
 - सिजिमाली

स्रोत: TH

मैडमैन थ्योरी

संदर्भ

- पश्चिम एशियाई संकट “फॉग ऑफ सीज़फायर” में प्रवेश करता है, जो एक संवेदनशील विराम है और अमेरिका तथा ईरान दोनों की विजय दावों को जन्म देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति की “मैडमैन थ्योरी” और गुप्त कूटनीति ने इस अनिश्चित युद्धविराम को संभव बनाया।

मैडमैन थ्योरी के बारे में

- मैडमैन थ्योरी** एक विदेश नीति और सामरिक सिद्धांत है, जिसमें कोई नेता जानबूझकर स्वयं को अप्रत्याशित, तर्कहीन या चरम कदम उठाने के इच्छुक के रूप में प्रस्तुत करता है, ताकि विरोधी यह मान लें कि युद्ध या परमाणु टकराव तक की स्थिति संभव है।

- यह शब्द विशेष रूप से रिचर्ड निक्सन और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर से जुड़ा है, विशेषतः शीत युद्ध एवं वियतनाम युद्ध के संदर्भ में।
- यह सिद्धांत मूलतः *मनोवैज्ञानिक संकेतों* के माध्यम से कार्य करता है, जिसका उद्देश्य विरोधी की धारणा को प्रभावित करना है, न कि तत्काल सैन्य कार्रवाई करना।
- अल्पकाल में, यदि धमकी विश्वसनीय मानी जाए तो यह *निरोध* और संकट कूटनीति को मजबूत कर सकता है; किंतु दीर्घकाल में यह सहयोगियों के बीच विश्वास को कम कर सकता है और किसी देश की स्थिर एवं विश्वसनीय वैश्विक अभिनेता की प्रतिष्ठा को कमजोर कर सकता है।
- 2024 में भारत और डेनमार्क के बीच वस्तुओं और सेवाओं का कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 7.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।
- **भारत से निर्यात:** वस्त्र, वाहन एवं पुर्जे, लोहा और इस्पात, धातु उत्पाद, चमड़े के सामान।
- **डेनमार्क से निर्यात:** औषधीय उत्पाद, विद्युत उत्पादन मशीनरी, औद्योगिक मशीनरी, धातु अपशिष्ट, अयस्क और कार्बनिक रसायन।
- भारत और डेनमार्क ने फरवरी 2024 में *प्रवासन एवं गतिशीलता साझेदारी समझौते* पर हस्ताक्षर किए, जिससे कुशल पेशेवरों की आवाजाही सुगम होगी।

स्रोत: IE

स्रोत: IE

भारत-डेनमार्क आर्थिक संबंधों का सुदृढीकरण

संदर्भ

- डेनमार्क ने भारत में अपना प्रथम *डेनिश वाणिज्य मंडल* स्थापित करने की घोषणा की है, जिसे नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा।

परिचय

- यह मंडल भारत और डेनमार्क के बीच व्यापारिक सहभागिता को संस्थागत मंच प्रदान करेगा।
- यह भारत में पहले से कार्यरत डेनिश कंपनियों के साथ-साथ उन कंपनियों को भी सहयोग देगा जो भारतीय बाजार में प्रवेश की योजना बना रही हैं।

भारत-डेनमार्क संबंध

- भारत और डेनमार्क के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध 1949 में स्थापित हुए।
- द्विपक्षीय संबंधों को 2020 में *ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप* तक उन्नत किया गया।
- **आर्थिक संबंध:** भारत और डेनमार्क के बीच 400 वर्षों से अधिक का व्यापारिक संबंध है। भारत में 225 से अधिक डेनिश सहायक कंपनियाँ कार्यरत हैं, जो 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देती हैं।

विश्व होम्योपैथी दिवस 2026

संदर्भ

- विश्व होम्योपैथी दिवस प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है, जर्मन चिकित्सक और होम्योपैथी के संस्थापक डॉ. *सैमुअल हैनीमैन (1755-1843)* की जयंती के उपलक्ष्य में।


होम्योपैथी के बारे में

- होम्योपैथी चिकित्सा की एक पद्धति है, जो “*लाइक क्योर्स लाइक*”(like cures like)” सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात् जो पदार्थ स्वस्थ व्यक्ति में लक्षण उत्पन्न करता है, वही समान लक्षण वाले रोगी के उपचार में सहायक हो सकता है।
- यह शब्द ग्रीक शब्दों *होमोइस (समान)* और *पाथोस (पीड़ा)* से बना है। इसे 1796 में डॉ. सैमुअल हैनीमैन ने औपचारिक रूप दिया। उनकी पुस्तक *ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन* आज भी इस पद्धति का मार्गदर्शन करती है।
- होम्योपैथिक औषधियाँ प्राकृतिक स्रोतों (वनस्पति, खनिज, पशु) से *डिल्यूशन और सकशन* की प्रक्रिया द्वारा तैयार की जाती हैं।
- इसकी विशेषता *व्यक्तिगत उपचार दृष्टिकोण* है, जिसमें रोग के बजाय रोगी की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

- **2026 की थीम:** “सतत स्वास्थ्य हेतु होम्योपैथी। यह सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (SDG 3: अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण) के अनुरूप है।

भारत में होम्योपैथी

- भारत में होम्योपैथी का परिचय 19वीं शताब्दी के प्रारंभ (लगभग 1810) में हुआ और धीरे-धीरे इसे स्वीकार्यता मिली।
- **जॉन मार्टिन होनिगबर्गर**, जो हैनीमैन के शिष्य थे, ने इसके प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेषकर 1839 में महाराजा रणजीत सिंह का सफल उपचार करने के बाद।



- **राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (NCH):** राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 के अंतर्गत स्थापित, जो 5 जुलाई 2021 से प्रभावी हुआ। इसने केंद्रीय होम्योपैथी परिषद को प्रतिस्थापित किया।
- होम्योपैथी **AYUSH** (आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) का हिस्सा है, जो 2014 में स्थापित **आयुष मंत्रालय** के अंतर्गत आता है।

स्रोत: PIB

मोरचेला मशरूम


समाचार में

- शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पहली बार मोरचेला (मोरेल मशरूम) की सफल खेती की है।

मोरचेला (मोरेल मशरूम) के बारे में

- मोरचेला, जिसे कश्मीर में स्थानीय रूप से **कंगैच** कहा जाता है, एक दुर्लभ, उच्च-मूल्य वाला खाद्य कवक है। यह प्राकृतिक रूप से ऊँचाई वाले वन पारिस्थितिक तंत्रों में संक्षिप्त वर्षा ऋतु के दौरान उगता है।
- इसका बाजार मूल्य ₹15,000 से ₹40,000 प्रति किलोग्राम तक होता है।

- यह मशरूम अपने तीव्र स्वाद, श्रेष्ठ पोषण प्रोफाइल और औषधीय गुणों (एंटीऑक्सीडेंट, एंटीट्यूमर, एंटीमाइक्रोबियल) के लिए प्रसिद्ध है।



- मोरचेला की खेती लंबे समय से एक प्रमुख वैज्ञानिक चुनौती रही है, क्योंकि इसका जीवन चक्र जटिल है, यह सहजीवी पारिस्थितिक व्यवहार प्रदर्शित करता है और अत्यधिक विशिष्ट पर्यावरणीय परिस्थितियों की आवश्यकता होती है।
- भारत में इसका व्यावसायिक स्तर पर कहीं भी उत्पादन नहीं किया जाता।

स्रोत: IE

नेफ्थलीन डाईइमाइड (NDI)

समाचार में

- शोधकर्ताओं ने खोज की है कि **नेफ्थलीन डाईइमाइड (NDI)** नामक एक कार्बनिक नैनोमेटेरियल के संरचनात्मक और विद्युत गुण केवल तापमान के माध्यम से बदले जा सकते हैं।

परिचय

- NDI एक विशेष एम्फिलिक अणु है, जिसका अर्थ है कि इसमें जल-आकर्षक (हाइड्रोफिलिक) और जल-विकर्षक (हाइड्रोफोबिक) दोनों भाग होते हैं, जिससे यह जल में रखे जाने पर जटिल संरचनाओं में स्वयं-संगठित हो सकता है।
- कमरे के तापमान पर जल में, NDI अणु गैर-सहसंयोजक अंतःक्रियाओं के माध्यम से छोटे गोलाकार नैनोडिस्क का निर्माण करते हैं, जो अत्यधिक विद्युत चालक होते हैं और ध्रुवीकृत प्रकाश के साथ अंतःक्रिया करते हैं।
- गर्म करने पर, ये नैनोडिस्क संरचनात्मक पुनर्गठन से गुजरते हैं और द्वि-आयामी नैनोशीट में परिवर्तित हो जाते हैं, जो प्रकाश-अंतःक्रिया गुण खो देते हैं तथा विद्युत चालकता में लगभग सात गुना कमी आती है।
- यह घटना सुप्रामॉलिक्यूलर सेल्फ-असेंबली का उदाहरण है, जिसमें अणु सुदृढ़ रासायनिक बंधों के बजाय कमजोर गैर-सहसंयोजक अंतःक्रियाओं का उपयोग करके स्वतः सुव्यवस्थित संरचनाएँ बनाते हैं। अंतिम संरचना पर्यावरणीय परिस्थितियों जैसे तापमान या विलायक पर निर्भर करती है।

महत्व

- इस खोज का उपयोग कार्बनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट सेंसर, ट्यून करने योग्य ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स, बायोइलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस और अनुकूली सामग्रियों में किया जा सकता है, जो बाहरी उत्तेजनाओं के अनुसार अपने गुणों को गतिशील रूप से बदल सकते हैं।

स्रोत: TH**केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल****समाचार में**

- केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) अधिनियम, 2026 अधिसूचित किया है, जो अधिकारियों की भर्ती, प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति और सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु एकीकृत कानूनी ढाँचा तैयार करता है।

परिचय

- भारत सात सशस्त्र पुलिस संगठनों का संचालन करता है, जिन्हें सामूहिक रूप से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कहा

जाता है। ये सभी गृह मंत्रालय (MHA) के अधीन कार्य करते हैं।

- इनमें शामिल हैं:

- असम राइफल्स
- सीमा सुरक्षा बल (BSF)
- केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)
- केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF)
- भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP)
- राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG)
- सीमा सुरक्षा बल (SSB)

- असम राइफल्स विशेष है क्योंकि यह द्वैध नियंत्रण में है। इसका प्रशासन (वेतन, अधोसंरचना) गृह मंत्रालय संभालता है, जबकि इसका परिचालन नियंत्रण रक्षा मंत्रालय के पास है।
- प्रत्येक बल का नेतृत्व पुलिस महानिदेशक (DGP) स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है।

स्रोत: TH**पुनात्सांगचू-II जलविद्युत परियोजना (PHEP-II)****समाचार में**

- भारत और भूटान ने पुनात्सांगचू-II जलविद्युत परियोजना (PHEP-II) निर्यात शुल्क पर समझौते के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

परिचय

- पुनात्सांगचू जलविद्युत परियोजनाएँ भूटान की पुनात्सांगचू नदी पर निर्मित दो प्रमुख रन-ऑफ-द-रिवर जलविद्युत परियोजनाएँ हैं, जिन्हें भारत-भूटान द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग ढाँचे के अंतर्गत विकसित किया गया है।
- **पुनात्सांगचू-I:** 1,200 मेगावाट स्थापित क्षमता, वर्तमान में निर्माणाधीन।
- **पुनात्सांगचू-II:** 1,020 मेगावाट स्थापित क्षमता, पूर्ण रूप से परिचालन में है और सितंबर 2025 से भारत को अधिशेष विद्युत का निर्यात कर रहा है।

स्रोत: PIB